BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT DELHI PRINCIPAL BENCH
ORIGINAL APPLICATION NO. 08/2023

IN THE MATTER OF:

MUKESH KUMAR TIWARI .... APPLICANT

VS

STATE OF UTTAR PRADESH .... RESPONDENT

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit of the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance with the order dated 20.05.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.	1 - 5
2.	True copy of letter dated 27.01.2023 is annexed herewith as **Annexure A-1**	6 - 7
3.	True copy of letter dated 04.03.2023 is annexed herewith as **Annexure A-2**	8 - 9
4.	True copy of letter dated 20.11.2023 is annexed herewith as **Annexure A-3**	10 - 12
5.	True copy of letter dated 30.07.2024 is annexed herewith as **Annexure A-4.**	13 - 14
6.	True copy of letter dated 20.11.2023 issued by deponent is annexed herewith as **Annexure A-5.**	15 - 16
7.	True copy of letter dated 10.09.2024 of Nagar Nigam Lucknow is annexed herewith as **Annexure A-6 and Annexure A-7.**	17 - 19

THROUGH

Arvind Kumar
Advocate

Date: .09.2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT DELHI PRINCIPAL BENCH
ORIGINAL APPLICATION NO. 08/2023

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow, (U.P.) NOTARIAL NOTARIAL GOVT. OF INDIA

IN THE MATTER OF:

MUKESH KUMAR TIWARI ....APPLICANT

VS

STATE OF UTTAR PRADESH ....RESPONDENT

AFFIDAVIT OF MEMBER SECRETARY, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 20.05.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

I, Sanjeev Kumar Singh , aged about 38 years, posted as Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), Lucknow, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the present affidavit is being filed before this Hon'ble Tribunal in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal vide order dated 20.05.2024 in para 05 as under:

   "..05. Hence, we require the Member Secretary, UPPCB to file an affidavit before the Tribunal disclosing as to why the UPPCB is not in a position to recover the EC amount from M/s Ecogreen Energy Lucknow Private Limited. Let this

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow, (U.P.) GOVT. OF INDIA

SK

affidavit be filed at least one week before the next date ofhearing."

2. That it is humbly submitted that officials of Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow inspected the site of Solid Waste Processing Plant at Shivri which was operated by M/s Eco Green Energy Private Limited on 22.08.2022, 26.08.2022 and 30.12.2022. During above inspection the unit was found non-complying with the provisions of Solid Waste Management Rules 2016 and has made no arrangements for leachate treatment. Based on the above facts Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 27.01.2023 confirmed the show cause notice dated 20.11.2020 and imposed Environmental Compensation of Rs. 25.3271 Cr. (Rs Twenty Five Crores Thirty Two Lakhs Seventy One Thousand only) for the default period of 01.01.2020 to 28.10.2020. True copy of letter dated 27.01.2023 is annexed herewith as **Annexure A-1.**

3. That officials of Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow again inspected the site of Solid Waste Processing Plant at Shivri which was operated by M/s Eco Green Energy Private Limited on 25.02.2023. During above inspection the unit was found non-complying with the provisions of Solid Waste Management Rules 2016 and made no arrangements for leachate treatment. Based on the above facts Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 04.03.2023 confirmed the show cause notice dated 27.01.2023 and has imposed further Environmental Compensation of Rs. 17.2071 Cr. (Rs Seventeen Crores Twenty Lakhs Seventy One Thousand only) for a default

NOTARY NOORJAHAN GOVT. 13/9/24

Sk

period of 22.08.2022 to 25.01.2023. True copy of letter dated 04.03.2023 is annexed herewith as **Annexure A-2**

4. That M/s Eco Green Energy Private Limited has not deposited the above Environmental Compensation imposed by UPPCB vide letters dated 27.01.2023 and 04.03.2023. Further the deponent vide its letter dated 20.11.2023 and 30.07.2024 has sent letter to District Magistrate Lucknow for recovery of above mentioned Environmental Compensation against M/s Eco Green Energy Private Limited. True copy of letter dated 20.11.2023 is annexed herewith as **Annexure A-3** and true copy of letter dated 30.07.2024 is annexed herewith as **Annexure A-4.**

5. That it is most humbly submitted here that the deponent has also issued letter dated 02.09.2024 to Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow for recovery of the Environmental Compensation imposed by UPPCB vide letters dated 27.01.2023 and 04.03.2023 against M/s Eco Green Energy Private Limited village Shivri, Lucknow. True copy of letter dated 02.09.2024 issued by deponent is annexed herewith as **Annexure A-5.**

6. That Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow vide its letter dated 10.09.2024 has replied to the letter dated 02.09.2024 of UPPCB.Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Lucknow in letter dated 10.09.2024 has informed that Nagar Nigam Lucknow has terminated and blacklisted M/s Eco Green Energy Private Limited village Shivri, Lucknow. Nagar Nigam, Lucknow has also claimed a compensation of Rs. 275.3434 Cr from M/s Eco Green Energy Private Limited. It is also mentioned in the above letter

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn 1094/15 Ex. Dt-28-01-2025 GOVT.

Sk

dated 10.09.2024 that Nagar Nigam, Lucknow vide its letter dated 26.05.2022, 18.03.2023, 21.03.2023, 24.03.2023 and 28.11.2023 has issued directions to M/s Eco Green Energy Private Limited village Shivri, Lucknow to submit the Environmental Compensation imposed by UPPCB vide letters dated 27.01.2023 and 04.03.2023 against the unit. The unit M/s Eco Green Energy Private Limited village Shivri, Lucknow has initiated an Arbitration Proceedings against Nagar Nigam, Lucknow regarding penalty imposed against the unit by Nagar Nigam, Lucknow. Further it is mentioned in the letter dated 10.09.2024 of Nagar Nigam, Lucknow that Nagar Nigam, Lucknow is in a process to prepare details of compensation liable to recover from M/s Eco Green Energy Private Limited village Shivri, Lucknow for solid waste management which includes vehicles, transfer station, solid waste processing plants and environmental compensation and which is to be recovered from the unit. True copy of letter dated 10.09.2024 issued by Nagar Nigam, Lucknow is annexed herewith as **Annexure A-6.**

7. That Nagar Nigam, Lucknow vide its letter dated 10.09.2024 has again issued direction to M/s Eco Green Energy Private Limited village Shivri, Lucknow for deposit of Environmental Compensation imposed by UPPCB vide letters dated 27.01.2023 and 04.03.2023 against the unit, failing which legal action shall be initiated by Nagar Nigam, Lucknow for recovery of the above environmental compensation. True copy of letter dated 10.09.2024 issued by Nagar Nigam, Lucknow is annexed herewith as **Annexure A-7.**

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) GOVT. OF INDIA

8. That waste collection in Zone 1, 3, 4, 6 and 7 is currently managed by M/s Chenni MSW Pvt. Ltd and waste collection in Zone 2, 5 and 8 is done by Lucknow Municipal Corporation. A temporary tender for processing fresh municipal waste has been awarded to M/s Horizon's Solution Pvt. Ltd.

9. That the deponent has issued appropriate directions for recovery of Environmental Compensation imposed by UPPCB vide letters dated 27.01.2023 and 04.03.2023 against M/s Eco Green Energy Private Limited village Shivri, Lucknow. The deponent has complied with the orders of this Hon'ble Tribunal in letter and spirit with respect to recovery of the Environmental Compensation.

10. That the deponent is duty bound to comply with any and further directions passed by this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

VERIFICATION:-

Verified at Lucknow on this......18...day of September, 2024 that the contents of the above Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and based on the official records of the Respondent. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn. 10943/15 Ex. Dt. 28-01-2025 GOVT. OF INDIA

I know & identify the deponent/Executant who has signed/put his T.I. before me
S.J. Iqbal Advocate
Reg No 8843/1999

Sworn and Verified before me.
13/9/24
NOORJAHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 10943/15

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या H37842/सी–5/L/MSW-1/2023

दिनांक 27/1/23
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स इको ग्रीन इनर्जी प्रा0लि0,
ग्राम–शिवरी, मोहान रोड,
लखनऊ।

Annexure A-1

यह कि जनपद–लखनऊ के ग्राम–शिवरी में स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लाण्ट जो कि मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, शिवरी, लखनऊ द्वारा संचालित किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–2357/सहमति–2240ए/2023 दिनांक 24.01.2023 द्वारा निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराई गयी है। आख्यानुसार अपशिष्ट संस्करण प्लाण्ट का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.08.2022, 26.08.2022 एवं 30.12.2022 को किया गया।

यह कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट के अन्तर्गत लखनऊ शहर में जनित ठोस अपशिष्ट का समुचित पृथ्क्कीकरण, एकत्रण, भण्डारण, परिवहन, प्रोसेसिंग एवं निस्तारण सुनिश्चित कराये जाने हेतु नगर निगम, लखनऊ व मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट प्रा0लि0 एवं कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (यूनिट आफ उ0प्र0 जल निगम) के माध्यम से त्रिपक्षी कन्सनायर एग्रीमेण्ट दिनांक 21.03.2017 सम्पादित हुआ था।

यह कि अद्यतन निरीक्षण के समय सदर्भित साइट पर लगभग 9 मीटर, 9.5 मीटर, 8 मीटर ऊँचे टीले नुमा अनियंत्रित अनसेग्रीगेटेड ठोस अपशिष्ट एकत्रित पाया गया तथा लीचेट अत्यधिक मात्रा में परिसर के बाहर बहता हुआ पाया गया। निरीक्षण दिनांक 26.08.2022 के समय प्लाण्ट परिसर की ड्रेन से बाहर निस्तारित लीचेट का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा कराया गया, प्राप्त विश्लेषण आख्या में प्रचालकों की मात्रा पीएच–7.06, बी.ओ.डी.–804.0 मिग्रा0/ली0, सी.ओ.डी.–8840.0 मिग्रा0/ली0, टी.एस.एस.–532.0 मिग्रा0/ली0, ऑयल एण्ड ग्रीस–62.0 मिग्रा0/ली0 पायी गयी, जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है। इकाई से जनित लीचेट नरवा नाले के माध्यम से अन्ततः सई नदी में मिलता है, जिससे नदी के जल की गुणता प्रभावित होती है।

यह कि अग्रेतर बोर्ड के पत्रांक–एच 55133/सी–5/एम.एम.डब्लू–1/2020 दिनांक 20.11.2020 द्वारा इकाई के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 28.10.2020 तक कुल डिफाल्ट 302 दिवस के उल्लंघन हेतु रू0 25.3271 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ बत्तीस लाख, इक्हत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में इकाई द्वारा अपना प्रत्युत्तर पत्रांक–इको/एल.के.ओ./21–212/005 दिनांक 26.04.2021 प्रेषित किया गया है, जिसके प्रस्तर –03 पर स्वयं स्वीकार किया गया है कि "समय से भुगतान न होने की स्थिति में प्रोसेसिंग प्लाण्ट पर कूड़े के प्रसंस्करण का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण नही किया जा सका।" उक्त पत्र के प्रस्तर–04 पर उल्लेख किया गया है कि "प्लाण्ट पर विधुत आपूर्ति बन्द हो जाने के कारण माह–अक्टूबर, 2020 में प्रोसेस का कार्य पूर्ण रूप से बाधित रहा है।" अतः स्पष्ट है कि आप द्वारा नगर निगम, लखनऊ क्षेत्र में एकत्र किये गये सॉलिड वेस्ट का नियमानुसार पूर्ण प्रसंस्करण नही किया गया।

यह कि पुनः आप द्वारा पत्रांक– इको/एल.के.ओ./21–22/149 दिनांक 29.11.2021 द्वारा प्रेषित किया गया है, जिसमें ओवर साइट कमेटी, मा0 एन.जी.टी. द्वारा माह–जुलाई 2021 में किये गये निरीक्षण में प्रसंस्करण प्लाण्ट संचालित किया जाना उल्लिखित किया गया है। जबकि उपरोक्त वर्णित इकाई पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 28.10.2020 तक की डिफाल्टर अवधि तक का है। इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर संतोषजनक नही है।

....2

टी.सी.–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट -www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

यह कि इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का निस्तारण न किये जाने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक– 2357/सहमति–2240ए/2023 दिनांक 24.01.2023 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.11.2020 की पुष्टि करते हुए रू0 25.3271 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ बत्तीस लाख, इक्हत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ को बोर्ड के पत्रांक–एच 55133/सी–5/एम.एम. डब्लू–1/2020 दिनांक 20.11.2020 द्वारा र्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित धारा–5 के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के विरूद्ध दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 28.10.2020 तक कुल डिफाल्ट 302 दिवस के उल्लंघन हेतु कुल रूपये 25.3271 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ बत्तीस लाख, इक्हत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

उपरोक्त के संबंध में इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 25.3271 करोड़ (रूपये पच्चीस करोड़ बत्तीस लाख, इक्हत्तर हजार मात्र) की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत
भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संस्था के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

Scanned with OKEN Scanner

Annexure A-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H 90293/सी–5/MSW-1/2023

दिनांक 04/03/23
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स इको ग्रीन इनर्जी प्रा0लि0,
ग्राम–शिवरी, मोहान रोड,
लखनऊ।

यह कि जनपद–लखनऊ के ग्राम–शिवरी में स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लाण्ट जो कि मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, शिवरी, लखनऊ द्वारा संचालित किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–2537/सहमति–2240/2023 दिनांक 25.02.2023 द्वारा निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराई गयी है। आख्यानुसार अपशिष्ट संस्करण प्लाण्ट का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.02.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय अपशिष्ट प्रसंस्करण की इकाईयों यथा ट्रामल, कम्पोस्ट संयंत्र, लीचेट शोधन संयंत्र आदि में से मात्र 02 ट्रामल ही संचालित पाया गया।

यह कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट के अन्तर्गत लखनऊ शहर में जनित ठोस अपशिष्ट का समुचित पृथक्कीकरण, एकत्रण, भण्डारण, परिवहन, प्रोसेसिंग एवं निस्तारण सुनिश्चित कराये जाने हेतु नगर निगम, लखनऊ व मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट प्रा0लि0 एवं कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेंज (यूनिट आफ उ0प्र0 जल निगम) के माध्यम से त्रिपक्षी कन्सनायर एग्रीमेण्ट दिनांक 21.03.2017 सम्पादित हुआ था।

यह कि अद्यतन निरीक्षण के समय संदर्भित स्थल पर तथा सिक्योर लैण्डफिल फैसिलिटी (एस.एल.एफ.) साइट पर लगभग 08 से 12 मीटर ऊँचे टीले नुमा अनियंत्रित अनसेग्रीगेटेड ठोस अपशिष्ट एकत्रित पाया गया, जिसके कारण प्लाण्ट में आने–जाने के रास्ते भी अवरूद्ध पाये गये। प्रसंस्करण प्लाण्ट पर एकत्रित नगरीय ठोस अपशिष्ट से जनित लीचेट परिसर में यत्र–तत्र भण्डारित पाया गया, जो नालियों के माध्यम से परिसर के बाहर नरवा नाले में प्रवाहित होता है, जो अन्ततः सई नदी में ग्राम–मदोही के निकट मिलता है। प्लाण्ट परिसर में लगभग 08 से 09 लाख मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट (लिगैसी वेस्ट) भण्डारित पाया गया। इकाई का पूर्व में निरीक्षण दिनांक 25.01.2023 के समय प्लाण्ट परिसर में नालियों में एकत्रित लीचेट का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या में प्रचालकों की मात्रा बी.ओ.डी.–1260.0 मिग्रा0/ली0, सी.ओ.डी.–7100.0 मिग्रा0/ली0, टी.एस.एस.–412.0 मिग्रा0/ली0, ऑयल एण्ड ग्रीस–48.0 मिग्रा0/ली0 पायी गयी, जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है।

यह कि इकाई के पत्र दिनांक 08.06.2021 द्वारा लीचेट ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (एल.टी.पी.) 250 केएलडी क्षमता का निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड में जमा किया गया था, जिसको पूरी तरह संचालन होने में 08 से 09 माह का समय लगना अवगत कराया गया था, जो कि अद्यतन निर्माण नही किया गया है।

यह कि इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का निस्तारण न किये जाने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक– 2537/सहमति–2240/2023 दिनांक 25.01.2023 द्वारा इकाई के विरूद्ध बोर्ड के पत्रांक–एच 87869/सी–5/एम.एस.डब्लू–01/2023 दिनांक 27.01.2023 द्वारा दिनांक 22.08.2022 से दिनांक 25.01.2023 तक कुल 157 दिन डिफाल्टर हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 17,20,71,000/– (रूपये सत्रह करोड़ बीस लाख इक्हत्तर हजार मात्र) हेतु जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने किये जाने की संस्तुति की गयी है।

....2

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेब साइट–www.uppcb.com

TC-12-V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web site www.uppcb.com

(2)

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ को बोर्ड के पत्रांक–एच 87869/सी–5/एम.एस.डब्लू–01/2023 दिनांक 27.01.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित की धारा–5 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इकाई मैसर्स इको ग्रीन ईनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के विरूद्ध दिनांक 22.08.2022 से दिनांक 25.01.2023 तक कुल डिफाल्ट 157 दिवस के उल्लंघन हेतु कुल रूपये 17,20,71,000/– (रूपये सत्रह करोड़ बीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है।

उपरोक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 17,20,71,000/– (रूपये सत्रह करोड़ बीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उसके उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ
4. जिलाधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संस्था के विरूद्ध अधिकरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H03050 /सी–5 /सामान्य-588/23 Dated 20/11/23

सेवा मे,
जिलाधिकारी,
जनपद–लखनऊ।
मो0 नं0– 9415005000

विषयः जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी उद्योगों (सूची संलग्न–30 उद्योग) के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी उद्योगों के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के विभिन्न पत्रांकों के माध्यम से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (सूची संलग्न–30 उद्योग), जो इकाई को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्रों के माध्यम से इकाईयों के विरूद्ध सूची में वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये 15 दिवस में उक्त धनराशि राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित इकाई द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नही की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची में वर्णित इकाईयों के समक्ष अंकित अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को भू–राजस्व की भाँति वसूली करते हुये उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या **701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150** में जमा करवाने की कार्यवाही कराते हुए बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोपरि।

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ मो0 न0 7839891696 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, लखनऊ से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

जनपद– लखनऊ में उद्योगों के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूची

कम संख्या	उद्योग का नाम व पता	प्रेषित पत्र का विवरण		अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि (रू0)
		पंत्राक	दिनांक	
1	Gemini Continental Pvt. Ltd., Hazratganj, Lucknow	H 35059/C-5/water-264/19	23.04.2019	1031250.00
2	Hotel Silvet, Rana Pratap Marg, Lucknow	989/सह0-2115 A/19	28.6.2019	2765625.00
3	Hotel Golden Tulip, Station Road, Lucknow	984/सह0-2074 A/19	28.6.2019	8468750.00
4	Hotel Sheltor, Kanpur road, Chargbagh, Lucknow	985/सह0-2348 A/19	28.6.2019	2765625.00
5	D.D. Hotel Pvt. Ltd, Alambagh, Lucknow	987/सह0-2305 A/19	28.6.2019	6640625.00
6	D.D. Hotel Pvt. Ltd, Gautam Budh Marg, Lucknow	986/सह0-2304 A/19	28.6.2019	6640625.00
7	Hotel India Avadh, Sapru Marg, Hazratganj, Lucknow	988/सह-166 A/19	28.6.2019	17062500.00
8	Snicka Hotel, Vibhuti Khand, Shahid Path, Gomti Nagar, Lucknow	998/सह0-2439 A/19	28.6.2019	859375.00
9	Aravali Enclave Pariyojna, Vrindavan Yojna-3, Sector-12, Lucknow	H 43248/C-5/सा0-521/19	03.11.2019	351562.50
10	Sky Bag Infotek Pvt. Ltd., 44 BH-1, Vrindavan Yojna, Mawaiya Chauraha, Raebareli road, Vrindawan Yojna, Lucknow	H 43246/C-5/सा0-521/19	03.11.19	234375.00
11	V.N. Infratech Pvt. Ltd., GF-11, Sector-11, Vrindavan Yojna, Lucknow	H 43286/C-5/सा0-521/19	04.11.19	585937.50
12	Surya Shyam Apartment, 381, Utratiya, Lucknow	H 43288/C-5/सा0-521/19	04.11.19	304687.50
13	Divisional Railway Manager, Eastern Railway, Lucknow	H 43247/C-5/सा0-521/19	03.11.19	398437.50
14	Mass Awas Pvt. Ltd., Near Bhootnath Metro Station, Faizabad road, Indira Nagar, Lucknow	H 43287/C-5/सा0-521/19	04.11.19	609375.00
15	Indraprastha Anand Housing Group Project, Plot No. 103, Sector-24, Indira Nagar, Lucknow	H 43565/C-5/सा0-521/19	11.11.19	562500.00
16	Arbnek Buisness Park, A-1, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow	G 31638/C-5/सामान्य-521/19	01.12.19	1148437.50
17	Nagar Ayukta, Nagar Nigam, Lucknow (Eco Green Energy Pvt Ltd. Shivri, Lucknow),	G 33304/C-5/MSW-1/2020	27.7.2020	144070000.00
18	Halwasiya Developers Pvt Ltd., 4th Floor, Cyber Heights, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow	H 59480/C-5/वायु–333/2021	01.3.2021	101562.50
19	Shalimar One World, Baghamau, gomti nagar extension, Lucknow	H 62489/C-5/L/वायु–328/21	18.6.2021	304687.50

)0	Mahaprabandhak, Gomti Pollution Control Unit, River Bank Colony, Jal Nigam, Lucknow(345 MLD, Bhrwara Malhaur)	H 73226/C-5/L/जल–248/22	04.04.2022	3562500.00
21	Nagar Ayukta, Nagar Nigam, Lucknow (Gomti Pollution),	G 39097/C-5/सामान्य–46/2022	19.09.2022	188000000.00
22	Cimbarli Club (Chacler Club) Pvt. Ltd. K-1, ashiyana Lucknow	H 81239/C-5/L/जल–375/22	15.09.2022	7510000
23	Everedy Industries Induia Ltd., Mill Road, Aishbagh, Lucknow	H 85489/C-5/L/जल–22/2022	12.012.2022	3270000.00
24	Eco Green Energy Pvt. Ltd., Village Shiveri, Mohan Road, Lucknow	H 87842/C-5/L/MSW–1/2023	27.01.2023	253271000.00
25	Eco Green Energy Pvt. Ltd., Village Shiveri, Mohan Road, Lucknow	H 90293/C-5/MSW–1/2023	04.03.2023	172071000.00
26	Sahara Hospital (Unit of Sahara India Medical Institute), Viraj Khand, Gomti Nagar, Lucknow	H 97225/C-5/L/जल–189/23	10.07.2023	1050000.00
27	AK Enfra and Reyality Developers Pvt. Ltd., (Drem Green City Phase-2, Village, Gata no.1/1,2,3, 5sa,1sa,93, 73, 117/2, 117/3, 128, 132, 133, 139mi, 139sa, 168, 173, 175 192, 199, 200sa, 201, 202, 200sa, 304, 209a, 209sa, 232ka, 238 ,242kha, 244ka, 232kha, 234, 237sa, 235sa, 237ka, 242ka, 1312 & 1905mi]-Dhavapur, Sarojne Nagar, Lucknow	H 98732/C-5/L/जल–445/23	01.08.2023	1781250.00
28	AK Enfra and Reyality Developers Pvt. Ltd., (Drem Green City Phase-2, 88, 89, 94, 97, 98, 99, 104/2, 109A, and 110, Village-Dhavapur, Sarojne Nagar, Lucknow	H 98733/C-5/L/जल–444/23	01.08.2023	1781250.00
29	G.S. Infratructure Pvt. Ltd. A,Vinit Khand,Gomti Nagar Lucknow	H 02397/C-5/L/वायु–379/23	27.10.2023	8296875.00
30	Vijay Construction (India) Pvt. Ltd., 407, Forth Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow	H 02395/C-5/L/वायु–381/23	27.10.2023	10031250.00

17/11/2023
CEO-5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Lifestyle for Environment

पत्रांक संख्या–H14997/सी–5/MSW-11/24 दिनांक 30-7-24

अनुस्मारक

Annexure A-4

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–लखनऊ।
मो0 नं0–9415005000

विषयः जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी उद्योग मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि0, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के राज्य बोर्ड से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू–राजस्व की भॉति वसूली किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्रांक–एच 03050/सी–5/सामान्य–588/23 दिनांक 20.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी उद्योग मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि0, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 27.07.2020, 27.01.2023 एवं 04.03.2023 द्वारा क्रमशः रू0 14,40,70,000/– (रू0 चौदह करोड़ चालिस लाख सत्तर हजार मात्र), रू0 25,32,71,000/– (रू0 पच्चीस करोड़ बत्तिस लाख इकहत्तर हजार मात्र) एवं रू0 17,20,71,000/– (रू0 सत्रह करोड़ बीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भू–राजस्व की भॉति वसूली किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु अभी तक उक्त धनराशि की वसूली की सूचना प्राप्त नही है।

उक्त के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–08/2023 मुकेश कुमार तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 (छायाप्रति संलग्न), जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..........4. The Tribunal in the proceedings dated 05.10.2023 had taken note of the stand of Counsel for UPPCB that the amount of EC was not recovered and UPPCB was not in a position to recover the same.
5. Hence, we require the Member Secretary, UPPCB to file an affidavit before the Tribunal disclosing as to why the UPPCB is not in a position to recover the EC amount from M/s Ecogreen Energy Lucknow Private Limited. Let this affidavit be filed at least one week before the next date of hearing......."

अतः उपरोक्त के संबंध में आप से अपेक्षा है कि उद्योग मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि0, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 27.07.2020, 27.01.2023 एवं 04.03.2023 (पत्र की छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्रमशः रू0 14,40,70,000/– (रू0 चौदह करोड़ चालिस लाख सत्तर हजार मात्र), रू0 25,32,71,000/– (रू0 पच्चीस करोड़ बत्तिस लाख इकहत्तर हजार मात्र) एवं रू0 17,20,71,000/– (रू0 सत्रह करोड़ बीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली कराते हुए payment gateway(URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account

...2

टी.सी.–12 वी., विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट -www.uppcb.com

TC-12-V, VibhutiKhand
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
web site www.uppcb.com

में जमा कराये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। Payment gateway के Homepage के dropdown मे निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें–

1.	Nature of Pollution /प्रदूषण की प्रकृति	–	Waste Managment Pollution
2.	Regional offices/क्षेत्रीय कार्यालय	–	Lucknow
3.	EC imposed in compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया	–	UPPCB

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक संख्या–H16501/सी–5/MSW–01/2024 दिनांक 02-9-24

Annexure A-5

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ।

विषयः जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी इकाई मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि0, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के राज्य बोर्ड से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भू–राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–08/2023 मुकेश कुमार तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अधिकरण में पारित उक्त आदेश, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"..........4. The Tribunal in the proceedings dated 05.10.2023 had taken note of the stand of Counsel for UPPCB that the amount of EC was not recovered and UPPCB was not in a position to recover the same.
5. Hence, we require the Member Secretary, UPPCB to file an affidavit before the Tribunal disclosing as to why the UPPCB is not in a position to recover the EC amount from M/s Ecogreen Energy Lucknow Private Limited. Let this affidavit be filed at least one week before the next date of hearing......."

बोर्ड के पत्रांक–एच 03050/सी–5/सामान्य–588/23 दिनांक 20.11.2023 एवं पत्रांक–एच 14997/सी–5/एम.एस.डब्लू.–1/24 दिनांक 30.07.2024 द्वारा जनपद–लखनऊ के उल्लंघनकारी इकाई मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि0, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 27.07.2020, 27.01.2023 एवं 04.03.2023 द्वारा कमशः रू0 14,40,70,000/– (रू0 चौदह करोड़ चालिस लाख सत्तर हजार मात्र), रू0 25,32,71,000/– (रू0 पच्चीस करोड़ बत्तिस लाख इकहत्तर हजार मात्र) एवं रू0 17,20,71,000/– (रू0 सत्रह करोड़ बीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भू–राजस्व की भाँति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी–लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न), परन्तु अभी तक उक्त धनराशि की वसूली की सूचना प्राप्त नही है। अग्रेतर अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 द्वारा अधिसूचित है कि ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियम, 2016 के नियम–11(के) के अनुसार ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन का उत्तरदायित्व नगर निकायों का है।

अतः उपरोक्त के संबंध में आपसे अपेक्षा है कि इकाई मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0लि0, ग्राम–शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 27.07.2020, 27.01.2023 एवं 04.03.2023 द्वारा कमशः रू0 14,40,70,000/–(रूपये चौदह करोड़ चालिस लाख सत्तर हजार मात्र), रू0 25,32,71,000/– (रूपये पच्चीस करोड़ बत्तिस लाख इकहत्तर हजार मात्र) एवं रू0 17,20,71,000/– (रूपये सत्रह करोड़ बीस लाख इकहत्तर...

...2

हजार मात्र) की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली कराते हुए payment gateway (URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए संबंधित को निर्देशित करना चाहेंगे, जिससे निर्धारित तिथि 20.09.2024 से पूर्व मा0 एन.जी.टी., नई दिल्ली में रिपोर्ट फाईल की जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समन्वय स्थापित करते हुए प्रश्नगत इकाई पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

Annexure A-6

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ	सेवा में, सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0–12 वी, विभूती खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ–226010 ई–मेल– info@uppcb.com
पत्र संख्या :–डी/4196 /न0आ0/प0आ0/24	दिनांक :– 10 सितम्बर, 2024

विषय :– जनपद लखनऊ के उल्लंघनकारी इकाई मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0 लि0, ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के राज्य बोर्ड से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भू–राजस्व की भांति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वीकीय कार्यालय पत्र संख्या H16501/सी-5/MSW-01/2024 दिनांक 02.09.2024 एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या 867/सहमति–2240/2024 दिनांक 02.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में में योजित ओ0ए0 संख्या–08/2023 मुकेश कुमार तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 के क्रम में मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0 लि0, ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा क्रमशः रू0 14,40,70,000/–, रू0 25,32,71,000/– एवं रू0 17,20,71,000/– की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भू–राजस्व की भांति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी–लखनऊ को पत्र प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए नगर निगम को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली कर Payment gateway (URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा वाद की निर्धारित तिथि 20.09.2024 से पूर्व मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में रिपोर्ट फाईल की जा सके।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखनऊ नगर की सॉलिड वेस्ट परियोजना के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र में घर–घर से कूड़े के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण कार्य हेतु मै0 इकोग्रीन एनर्जी प्रा0 लि0 (वर्तमान में मै0 इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0) से दिनांक 21.03.2017 को त्रिपक्षीय अनुबन्ध सम्पादित किया गया था। परन्तु इकोग्रीन संस्था द्वारा अनुबन्ध के नियमों, शर्तो एवं निर्धारित दायित्वों को पूर्ण न किये जाने एवं पर्यावरण को नुकसान पहुचाने व सॉलिड वेस्ट नियमावली–2016 का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के कारण दिनांक 06.07.2023 को इकोग्रीन संस्था को टर्मिनेट कर दिया गया है।

अनुबन्ध के अनुसार इकोग्रीन संस्था का कार्य सेनेटरी लैण्डफिल साइट को विकसित करना, इसे नियमों के अनुसार संचालित करना एवं निकलने वाले लीचेट को एकत्र कर उसे ट्रीटमेण्ट के उपरान्त निस्तारित करना था, जिसे इकोग्रीन संस्था द्वारा नियमानुसार नहीं किया गया, जिससे पर्यावरण की स्थिति और खराब हो गयी।

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा पूर्व में शिवरी स्थित प्लान्ट का निरीक्षण के समय प्लान्ट में अपशिष्ट प्रसंस्करण सम्बन्धी संचालन एवं पायी गयी अन्य कमियों का संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 03.09.2019 से दिनांक 18.12.2019 तक कुल 107 दिवस की अवधि हेतु रू0 14.4071 करोड़ एवं दिनांक 01.01.2020 से 28.10.2020 तक कुल डिफाल्ट 302 दिवस के उल्लंघन किये जाने के विरूद्ध रू0 25.3271 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। साथ ही इकोग्रीन संस्था द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम–2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का निस्तारण न किये जाने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक–2367/सहमति–2240/2023 दिनांक 25.01.2023 द्वारा दिनांक 22.08.2022 से 25.01.2023 तक कुल 157 दिन डिफाल्टर हेतु रू0 17,20,71,000/– (रूपये सतरह करोड़ बीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यों के प्रति लापरवाही व अपेक्षित सुधार परिलक्षित नही किये जाने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा न किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए संस्था को काली सूची मे डाल दिया गया है। नगर निगम द्वारा इकोग्रीन संस्था को दिये गये टर्मिनेशन नोटिस में उपरोक्त क्षतियों के दृष्टिगत रू0 275.3434 करोड़ की क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है।

desktop/docket

उक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को जमा कराये जाने के सम्बन्ध में नगर निगम द्वारा पूर्व में मेसर्स इकोग्रीन संस्था को समय-समय पर अनेक पत्र प्रेषित किये गये हैं, जिसमें मुख्यतः पत्र संख्या-डी/372/प0अ0/22 दिनांक 26.05.2022, डी/975/न0आ0/प0अ0/22 दिनांक 18.03.2023, डी/976/न0आ0/प0अ0/22 दिनांक 18.03.2023, डी/987/न0आ0/प0अ0/23 दिनांक 21.03.2023, डी/1003/न0आ0/प0अ0/23 दिनांक 24.03.2023, डी/751/न0आ0/प0अ0/23 दिनांक 28.11.2023 के द्वारा संस्था को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। परन्तु इकोग्रीन संस्था द्वारा अभी तक उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को जमा नहीं कराया गया है। मेसर्स इकोग्रीन संस्था पर अधिरोपित पेनाल्टी एवं संस्था द्वारा अपनी कमियों को छिपाये जाने तथा निगम पर दवाव बनाये जाने के उद्देश्य से एक आर्बिट्रेशन वाद दाखिल किया गया है।

मेसर्स इकोग्रीन संस्था द्वारा मार्च 2017 से जुलाई 2023 के मध्य लखनऊ नगर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत वाहनो, पी0सी0टी0एस0, ट्रांसफर स्टेशन सहित ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट के स्थापित संयंत्र, मशीने, शेड, वेईंग ब्रिज, सिविल कन्सट्रक्शन, एस0एल0एफ0 एवं पर्यावरण आदि को पहुचायी गयी क्षति की पूर्ति हेतु भी नगर निगम द्वारा विवरण तैयार कर मे0 इकोग्रीन से वसूली किया जाना है। राज्य बोर्ड द्वारा मे0 इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 संस्था पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कराये जाने के सम्बन्ध में मे0 इकोग्रीन संस्था को पुनः पत्र भेजा गया है जिसे सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(इन्द्रजीत सिंह)
नगर आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. मा0 महापौर जी, नगर निगम लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-5, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

(इन्द्रजीत सिंह)
नगर आयुक्त

Annexure A-7

नगर निगम लखनऊ

प्रेषक,	सेवा में,
नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ	मुख्य प्रचालन अधिकारी (ग्रुप) एवं निदेशक मे0 इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0, 228-236, 2nd Floor, Tower A, Spaze I-Tech Park, Sector-49, Sohna Road, Gurugram -122018, Hariyana. E-mail : hrdlucknow@ecogreenwte.com
पत्र संख्या :–डी/697/न0आ0/प0अ0/24	दिनांक :– 10 सितम्बर, 2024

विषय :– जनपद लखनऊ के उल्लंघनकारी इकाई मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0 लि0, ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के राज्य बोर्ड से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भू–राजस्व की भांति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या H16501/सी-5/MSW-01/2024 दिनांक 02.09.2024 एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या 867/सहमति–2240/2024 दिनांक 02.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–08/2023 मुकेश कुमार तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2024 के क्रम में मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी प्रा0 लि0, ग्राम शिवरी, मोहान रोड, लखनऊ के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा क्रमशः रू0 14,40,70,000/–, रू0 25,32,71,000/– एवं रू0 17,20,71,000/– की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को भू–राजस्व की भांति वसूली किये जाने हेतु जिलाधिकारी–लखनऊ को पत्र प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए नगर निगम को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली कर Payment gateway (URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में रिपोर्ट फाईल की जा सके।

अतः मेसर्स इकोग्रीन एनर्जी लखनऊ प्रा0 लि0 संस्था पर राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को तत्काल जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि की वसूली हेतु नगर निगम को वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

भवदीय

(इन्द्रजीत सिंह)
नगर आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. मा0 महापौर जी, नगर निगम लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

(इन्द्रजीत सिंह)
नगर आयुक्त

desktop/docket